323

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक R 4264-I/16 सन

01. विहारीलाल तनय श्री प्रेमीलाल अहिरवार
02. मैयादीन तनय श्री प्रेमीलाल अहिरवार
03. मनीराम तनय श्री प्रेमीलाल अहिरवार
निवासीगण ग्राम रामपुर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्तागण

बनाम

भददु तनय श्री मुल्ला अहिरवार
निवासी रामपुर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्ता

श्री [illegible] चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 19.12.16 को प्रस्तुत
19-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के तहत प्रकरण कमांक 17/अ-3/2012-13 आदेश दिनांक 30.07.2013 न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय राजनगर प्रभारी मण्डल क्षेत्र बसारी से परिवेदित होकर।

794 19-12-16

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत करते है—

निगरानी के तथ्य

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा ग्राम रामपुर की भूमि खरा नं0 83/1 किता 1 रकवा 1.125हे0 भूमि हम निगरानीकर्ता/आवेदकगणो के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है जिस पर हम आवेदकगणो के पिता/बाबा द्वारा कुऑं खोदा गया तथा भूमि को काबिल कास्त बनाया पत्थर, डूखड़े आदि खोदकर कृषि कार्य हेतु बनाया तथा अपने पिता के समय से आज तक कृषि कार्य कर रहे है तथा काबिज कास्त है। तथा इसी भूमि से लगी हुई एंव इसी का बटांक 83/3 रकवा 0.769हे0 व खसरा नं0 82/3, 82/4/ख अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता भददु तनय श्री मुल्ला अहिरवार की भूमि है अपनी उक्त भूमि खसरा नं0 82/3, 82/4/ख, 83/3 किता 3 रकवा कमशः 0.651, 0.459, 0.769हे0 एकत्र रकवा 1.879हे0 भूमि की तरमीम कराने हेतु एक आवेदन पत्र न्यायालय नायब तहसीलदार क्षेत्र बसारी तहसील राजनगर के यहॉ दिनांक 16.04.2013 को प्रस्तुत किया हम आवेदकगण/निगरानीकर्ता बटांक धारी है परन्तु हमे पक्षकार नही बनाया तथा शासन म0प्र0 अनावेदक बनाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा आवेदन पत्र उसके पुत्र रामेश्वर अहिरवार द्वारा पेश किया है।

विहारी लाल   मैयादीन   मनीराम

क्रमशः//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–4264–एक / 2016 जिला–छतरपुर

बिहारी लाल आदि विरूद्ध भद्दु

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब. तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डल क्षेत्र बसारी, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 17/अ–3/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30–07–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 11-3-19 (आर0के0 जैन) सदस्य	